



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2024 / 437(168 / 24)

दर्ज तिथि:-25.09.2024

1. धनीदेवी पत्नी सुजानाराम
 2. साजनराम पुत्र भागचन्द्रराम
 3. सोनाराम पुत्र हेमाराम
 4. प्रतापसिंह पुत्र हेमाराम
 5. धनाराम पुत्र हेमाराम
 6. भीयाराम पुत्र पोकराराम
 7. प्रभुराम पुत्र हेमाराम
- जाति विश्नोई निवासी सनावड़ा कला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
8. रामदान पुत्र हरिया उर्फ हरीराम
 9. सदराम पुत्र हरिया उर्फ हरीराम
- जाति विश्नोई निवासी लालाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. अर्जुनराम पुत्र जसवंताराम
 2. किशनाराम पुत्र जसवंताराम
 3. जमनादेवी पत्नी जसवंताराम
 4. पांचाराम पुत्र जसवंताराम
 5. मोटा पुत्र गुणेशा
 6. मोबताराम पुत्र जसवंताराम
 7. रूखमणी पत्नी साजनराम
 8. रामजीवन पुत्र रायचन्द्रराम
 9. लाधुराम पुत्र रायचन्द्रराम
 10. वागा पुत्र गुणेशा
 11. विनोद पुत्र साजनराम
 12. सुजानाराम पुत्र जसवंताराम
 13. सोनाराम पुत्र राचन्द्रराम
- जाति विश्नोई निवासी लालाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
14. किशनाराम पुत्र भीयाराम
 15. गंगाराम पुत्र भेराराम
 16. चोथाराम पुत्र भीयाराम
 17. जगमालाराम पुत्र भीयाराम
 18. सुखराम पुत्र भेराराम
- जाति विश्नोई निवासी गुणेशाणियों की ढाणी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादी



19. प्रबन्धक आई सी आई बैंक रामजी का गोल
20. तहसीलदार गुडामालानी।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:- श्री मोहनलाल विश्‍नोई
प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-26.05.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 195 / 53.3213 है0 मौजा लालोणियों की ढाणी पटवार मण्डल बारासण तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रैजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल प्रतिवादीगण के हाजिर न्यायालय नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् वादी अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 04.11.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 322 दिनांक 17.02.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव / कुर्रैजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 ता 18 द्वारा असालतन-वकालतन हाजिर न्यायालय होकर प्रार्थना-पत्र अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-09 नियम-07 का प्रस्तुत किया गया। परंतु उक्त प्रार्थना पत्र के पेश करने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 ता 18 एवं उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में

अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/322 दिनांक 17.02.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 26.12.2024 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1208-1234 दिनांक 16.12.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 26.12.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1208-1234 दिनांक 16.12.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 26.12.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

- प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074-2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 195/53.3213 है0 मौजा लालोणियों की ढाणी पटवार मण्डल बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
- प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह- काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित

किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 195 / 53.3213 है0 मौजा लालोणियों की ढाणी पटवार मण्डल बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
धनी पत्नी सुजानाराम हि0 1/2 साजनराम पुत्र भागचन्द हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 सनावड़ा खातेदार	लालोणियों की ढाणी	195	6.2870	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 6.2870 है0				
सदराम पुत्र हरिराम उर्फ हरिया हि0 1/2 रामदान पुत्र हरिराम उर्फ हरिया हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	लालोणियों की ढाणी	195	6.2870	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 6.2870 है0				
भीयाराम पुत्र पोकराराम (फौत) जाति विश्नोई सा0 सनावड़ा खातेदार	लालोणियों की ढाणी	195	6.2870	बा0दो0

कुल किता 01 रकबा 6.2870 है0				
प्रतापसिंह पुत्र हेमाराम हि0 1/4 प्रभुराम पुत्र हेमाराम हि0 1/4 सोनाराम पुत्र हेमाराम हि0 1/4 धनाराम पुत्र हेमाराम हि0 1/4 जाति विश्नोई सा0 सनावड़ा खातेदार	लालोणियों की ढाणी	195	6.2870	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 6.2870 है0				
अर्जुनराम पुत्र जसवंताराम हि0 1/35 पांचाराम पुत्र जसवंताराम हि0 1/35 मोबताराम पुत्र जसवंताराम हि0 1/35 सुजानाराम पुत्र जसवंताराम हि0 1/35 किशनाराम पुत्र जसवंताराम हि0 1/35 जमनादेवी पत्नी जसवंताराम हि0 1/35 रुखमणी पत्नी साजनराम हि0 हि0 1/70 विनोद पुत्र साजनराम हि0 1/70 मोटा पुत्र गुणेशा हि0 1/5 वागाराम पुत्र गुणेशा हि0 1/5 रामजीवन पुत्र रायचन्द हि0 1/5 लाधुराम पुत्र रायचन्द हि0 1/15 सोनाराम पुत्र रायचन्द हि0 1/15 किशनाराम पुत्र भीयाराम हि0 1/20 जगमालराम पुत्र भीयाराम हि0 1/20 चौथाराम पुत्र भीयाराम हि0 1/20 सुखराम पुत्र भेराराम हि0 1/40 गंगाराम पुत्र भेराराम हि0 1/40 जाति विश्नोई सा0 गुणेशाणियों की ढाणी व देह खातेदार रहन-सुखराम का हि0 आईसीआईसीआई शाखा रामजी का गोल खातेदार	लालोणियों की ढाणी	195 195 195	15.0888 5.0296 5.0296	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 25.1480 है0				
खाता संख्या 09 खातेदार बदस्तुर (संयुक्त)	लालोणियों की ढाणी	195	2.4091	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.4091 है0				
खाता संख्या 09 खातेदार बदस्तुर (रास्ता प्रयोजनार्थ)	लालोणियों की ढाणी	195	0.6162	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.6162 है0 रास्ता प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर





न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2024 / 437(168 / 24)

दर्ज तिथि:-25.09.2024

1. धनीदेवी पत्नी सुजानाराम
 2. साजनराम पुत्र भागचन्द्रराम
 3. सोनाराम पुत्र हेमाराम
 4. प्रतापसिंह पुत्र हेमाराम
 5. धनाराम पुत्र हेमाराम
 6. भीयाराम पुत्र पोकराराम
 7. प्रभुराम पुत्र हेमाराम
- जाति विश्नोई निवासी सनावड़ा कला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
8. रामदान पुत्र हरिया उर्फ हरीराम
 9. सदराम पुत्र हरिया उर्फ हरीराम
- जाति विश्नोई निवासी लालाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. अर्जुनराम पुत्र जसवंताराम
 2. किशनाराम पुत्र जसवंताराम
 3. जमनादेवी पत्नी जसवंताराम
 4. पांचाराम पुत्र जसवंताराम
 5. मोटा पुत्र गुणेशा
 6. मोबताराम पुत्र जसवंताराम
 7. रूखमणी पत्नी साजनराम
 8. रामजीवन पुत्र रायचन्द्रराम
 9. लाधुराम पुत्र रायचन्द्रराम
 10. वागा पुत्र गुणेशा
 11. विनोद पुत्र साजनराम
 12. सुजानाराम पुत्र जसवंताराम
 13. सोनाराम पुत्र राचन्द्रराम
- जाति विश्नोई निवासी लालाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
14. किशनाराम पुत्र भीयाराम
 15. गंगाराम पुत्र भेराराम
 16. चोथाराम पुत्र भीयाराम
 17. जगमालाराम पुत्र भीयाराम
 18. सुखराम पुत्र भेराराम
- जाति विश्नोई निवासी गुणेशाणियों की ढाणी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादी

19. प्रबन्धक आई सी आई बैंक रामजी का गोल
20. तहसीलदार गुडामालानी।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:- श्री मोहनलाल विश्नोई
प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 195 / 53.3213 है0 मौजा लालोणियों की ढाणी पटवार मण्डल बारासण तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
धनी पत्नी सुजानाराम हि0 1/2 साजनराम पुत्र भागचन्द हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 सनावड़ा खातेदार	लालोणियों की ढाणी	195	6.2870	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 6.2870 है0				
सदराम पुत्र हरिराम उर्फ हरिया हि0 1/2 रामदान पुत्र हरिराम उर्फ हरिया हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	लालोणियों की ढाणी	195	6.2870	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 6.2870 है0				
भीयाराम पुत्र पोकरीराम (फौत) जाति विश्नोई सा0 सनावड़ा खातेदार	लालोणियों की ढाणी	195	6.2870	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 6.2870 है0				
प्रतापसिंह पुत्र हेमाराम हि0 1/4 प्रभुराम पुत्र हेमाराम हि0 1/4 सोनाराम पुत्र हेमाराम हि0 1/4 धनाराम पुत्र हेमाराम हि0 1/4 जाति विश्नोई सा0 सनावड़ा खातेदार	लालोणियों की ढाणी	195	6.2870	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 6.2870 है0				
अर्जुनराम पुत्र जसवंताराम हि0 1/35 पांचाराम पुत्र जसवंताराम हि0 1/35 मोबताराम पुत्र जसवंताराम हि0 1/35 सुजानाराम पुत्र जसवंताराम हि0 1/35 किशनाराम पुत्र जसवंताराम हि0 1/35 जमनादेवी पत्नी जसवंताराम हि0 1/35 रुखमणी पत्नी साजनराम हि0 हि0 1/70	लालोणियों की ढाणी	195 195 195	15.0888 5.0296 5.0296	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0

विनोद पुत्र साजनराम हि0 1/70 मोटा पुत्र गुणेशा हि0 1/5 वागाराम पुत्र गुणेशा हि0 1/5 रामजीवन पुत्र रायचन्द हि0 1/5 लाधुराम पुत्र रायचन्द हि0 1/15 सोनाराम पुत्र रायचन्द हि0 1/15 किशनाराम पुत्र भीयाराम हि0 1/20 जगमालराम पुत्र भीयाराम हि0 1/20 चौथाराम पुत्र भीयाराम हि0 1/20 सुखराम पुत्र भेराराम हि0 1/40 गंगाराम पुत्र भेराराम हि0 1/40 जाति विश्नोई सा0 गुणेशाणियों की ढाणी व देह खातेदार रहन-सुखराम का हि0 आईसीआईसीआई शाखा रामजी का गोल खातेदार				
कुल किता 03 रकबा 25.1480 है0				
खाता संख्या 09 खातेदार बदस्तुर (संयुक्त)	लालोणियों की ढाणी	195	2.4091	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.4091 है0				
खाता संख्या 09 खातेदार बदस्तुर (रास्ता प्रयोजनार्थ)	लालोणियों की ढाणी	195	0.6162	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.6162 है0 रास्ता प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर